HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 11892/2026
URN: CW / 26309U / 2026

Sangita W/o Shri Ram Singh, Aged About 30 Years, R/o Behind Rani Sati Temple, Khemi Sati Temple Road, Fouj Mohalla, Ward Number 42, Jhunjhunu 333001.

----Petitioner

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through Director General Of Police, Police Headquarter, Lalkothi Tonk Road Jaipur.
2. The Superintendent Of Police, Jhunjhunu, Rajasthan.
3. The Station House Officer, Police Station Kotwali (Jhunjhunu), District Jhunjhunu.
4. Ram Singh S/o Shri Matu Ram, Aged About 34 Years, R/o Behind Rani Sati Temple, Khemi Sati Temple Road, Fouj Mohalla, Ward Number 42, Jhunjhunu 333001.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Virendra Prajapat
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Choudhary, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

17/07/2026

यह रिट याचिका याची की ओर से अयाची संख्या 4 की ओर से उसे जान एवं स्वतंत्रता का खतरा पैदा करने की धमकियां मिलने के कारण अयाची संख्या–1 लगायत 3 को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए जाने हेतु प्रस्तुत की है।

दोनों पक्षों को याचिका पर सुना गया।

याची के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याची द्वारा अयाची संख्या 02 व 03 पुलिस अधीक्षक, जिला झुंझुनू व नोडल ऑफिसर कम पुलिस आयुक्त, जिला झुंझुनू को पुलिस सहायता प्रदान करने हेतु पूर्व में अभ्यावेदन दिये जा चुके हैं। उनका कहना है कि याची एक विवाहित व वयस्क महिला है और उसे अधिकार है कि वह अपनी मर्जी के स्थान पर निवास करे। उनका तर्क है कि अयाची संख्या 04 से याची को अपनी

जान और स्वतंत्रता का खतरा है। उनका तर्क है कि उक्त सभी तथ्य याची द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अंकित कर दिए गए हैं और इसके साथ ही एक अन्य शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसमें भी उक्त तथ्य अंकित किए गए हैं। उनका तर्क है कि उक्त शपथ–पत्र के साथ एक पेन–ड्राईव भी प्रस्तुत किया गया है। उनका तर्क है कि याची द्वारा सुरक्षा हेतु संबंधित पुलिस थाने में फोन भी किया गया था और पुलिस मौके पर भी आई थी। उनका तर्क है कि उक्त पेन–ड्राईव से वार्तालाप होना स्पष्ट हो रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा याची को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। अतः याची को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त याचिका का विरोध प्रकट किया।

हमने तर्क–वितर्क पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिश्चय लता सिंह–बनाम–उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 2006 एससी 2522, एस. खुशबू–बनाम–कन्नाईम्मल 2010 (5) एससीसी 600, इन्द्रा सरमा–बनाम–वीकेवी सरमा (2013) 15 एससीसी 755 तथा शफीन जहान–बनाम–असोकन के एम एवं अन्य (2018) 16 एससीसी 368 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने का किसी अन्य को अधिकार नहीं है। वे कानून के अंतर्गत अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 29 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों के जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे।

समस्त प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में याची के कथनों की सद्भाविकता व सत्यता के संबंध में कोई टिप्पणी व निष्कर्ष दिये बिना तथा उक्त विधिक स्थिति को देखते हुए अयाची संख्या–1 लगायत 3 को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे याची की ओर से अयाची संख्या–2 व 3 को प्रेषित पत्र परिशिष्ट–3 को विचार (consider) में लाएं व याची की कथित असुरक्षा के संबंध में आकलन के पश्चात् असुरक्षा का तत्व पाये

जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कर याची के जीवन व स्वतंत्रता को किसी प्रकार की क्षति/हानि कारित नहीं होना सुनिश्चित करें।

तद्नुसार याचिका एवं विविध प्रार्थनापत्र, यदि कोई लम्बित हो, तो निस्तारित किए जाते हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याची के विरूद्ध लम्बित या प्रस्तुत होने वाली किसी दीवानी/आपराधिक कार्यवाही को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा एवं ऐसी कार्यवाही विधि अनुसार सम्पादित की जाएगी।

(SHUBHA MEHTA),J

140/NIMIT GOYAL/753